



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ खान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar



दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक: 011/2017/छा.स./08-1007
दिनांक : 25.11.2021

सूचना

विश्वविद्यालय के छात्रावास में प्रवेश हेतु निम्नांकित व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है :

1. छात्रावास में प्रवेश हेतु प्रस्तुत आवेदनों के साथ कोविड-19 के दोनों डोज़ लगाये जाने के संबंध में प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य है। जिन्होंने छात्रावास प्रवेश आवेदन के साथ कोविड-19 टीकाकरण प्रमाणपत्र संलग्न नहीं किया है वे अंतिम टीकाकरण प्रमाणपत्र कुलानुशासक कार्यालय में ई-मेल के माध्यम से proctormgahv@gmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. छात्रावास प्रवेश के समय एक सेमेस्टर का शुल्क (Fees) जमा करने के उपरांत ही छात्रावास में कक्ष आवंटित किया जायेगा। फीस जमा करने के पावती की एक प्रति छात्रावास केअर-टेकर के पास जमा करना अनिवार्य है। दिनांक 30.11.2021 तक छात्रावास में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को ही छात्रावास में कक्ष आवंटन किया जायेगा। कक्ष आरक्षित नहीं किया जायेगा।
3. छात्रावास में प्रवेश लेने के सभी इच्छुक विद्यार्थियों/शोधार्थियों को कुलानुशासक कार्यालय में छात्रावास पंजीकरण आवेदन करना होगा।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव)
25/11/21

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय,
2. प्रतिकुलपति द्वय कार्यालय,
3. प्रवेश प्रकोष्ठ
4. सभी छात्रावास अधीक्षक
5. विश्वविद्यालय वेबसाइट
6. संबंधित पत्रावली